DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

22 August, 2024

चंद्रमा का मानक समय

संदर्भ: *पिछले सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के लिए एक समय-निर्धारण मानक बनाने का प्रस्ताव रखा था।*

समयपालन मानकों पर पृष्ठभूमि

- **वर्तमान पृथ्वी समय मानक:**
  - समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी) का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है, जिसे पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय माप और बाट ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  - UTC वैश्विक स्तर पर 400 से अधिक परमाणु घड़ियों के भारित औसत पर आधारित है।
  - परमाणु घड़ियां सीज़ियम-133 जैसे परमाणुओं की अनुनाद आवृत्तियों का उपयोग करके समय को मापती हैं, जो एक सेकंड को सीज़ियम परमाणु के 9,192,631,770 कंपनों की अवधि के रूप में परिभाषित करती हैं।
- **स्थानीय समय का निर्धारण:**
  - देश ग्रीनविच मध्याह्न रेखा (0 डिग्री देशांतर) के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर UTC से घंटे जोड़कर या घटाकर स्थानीय समय को समायोजित करते हैं।

चंद्र समय मानक की आवश्यकता

- **चंद्रमा पर समय प्रवाह:**
  - आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतर के कारण चंद्रमा पर समय पृथ्वी की तुलना में अलग ढंग से बहता है।
  - चंद्रमा पर घड़ी पृथ्वी की तुलना में थोड़ी अधिक तेजी से चलेगी, जिससे प्रति पृथ्वी दिवस लगभग 58.7 माइक्रोसेकंड कम हो जाएंगे।
- **समय विसंगति के निहितार्थ:**
  - समय का अंतर अंतरिक्ष यान डॉकिंग, डेटा स्थानांतरण, संचार और नेविगेशन को प्रभावित कर सकता है।
  - वर्तमान चंद्र मिशन UTC से जुड़े अपने स्वयं के समय-सीमा का उपयोग करते हैं, जो कुछ मिशनों के लिए तो प्रबंधनीय है, लेकिन भविष्य के कई मिशनों के लिए समस्याजनक हो सकता है।
- **भविष्य के चंद्र मिशन:**
  - भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश चंद्रमा पर गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। नासा के आर्टेमिस का लक्ष्य 2026 तक, चीन का 2030 तक और भारत का 2040 तक है, साथ ही दीर्घकालिक मानव चौकी के लिए भी प्रस्ताव है।

चंद्र समय मानक की स्थापना

- **चंद्र समय-निर्धारण हेतु प्रस्ताव:**
  - समय मानक स्थापित करने के लिए चंद्रमा पर परमाणु घड़ियां तैनात की जा सकती हैं।
  - चंद्रमा के घूर्णन और स्थानीय द्रव्यमान सांद्रता (मासकॉन) में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर अलग-अलग स्थानों पर कम से कम तीन परमाणु घड़ियां लगाई जाएंगी।
- **घड़ी का स्थान और समन्वयन:**
  - विषेश द्रव्यमान (mascons) के कारण समय प्रवाह में होने वाले मामूली बदलावों के कारण घड़ियों को विभिन्न चंद्र स्थलों पर रखना पड़ता है।
  - इन घड़ियों को एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके संयोजित किया जाएगा, जिससे एकीकृत चंद्र समय मानक तैयार किया जा सकेगा, जिसे पृथ्वी से सुसंगत संचालन के लिए UTC के साथ संरेखित किया जाएगा।
- **पृथ्वी समयपालन से तुलना:**
  - पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक घूर्णन गति में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए परमाणु घड़ियों को अलग-अलग अक्षांशों पर रखा जाता है, जिससे समय की गणना प्रभावित होती है।

वर्तमान समय मानक

- **भूकेन्द्रीय निर्देशांक समय (TCG):** यह पृथ्वी के द्रव्यमान केन्द्र पर आधारित एक सैद्धांतिक समय मानक है। TCG की प्राप्ति में माप त्रुटियाँ होती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय (TAI):** यह अंतर्राष्ट्रीय माप और तौल ब्यूरो (BIPM) द्वारा दुनिया भर में परमाणु घड़ियों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करके बनाया गया एक समय मानक है। TAI स्थलीय समय (TT) का एक व्यावहारिक कार्यान्वयन है, जो TCG का पुनर्मूल्यांकन है।
- **सार्वभौमिक समय (UT1):**यह 0° देशांतर पर औसत सौर समय को दर्शाता है, जिसे क्वासर, चंद्रमा, उपग्रहों और जीपीएस से प्राप्त डेटा का उपयोग करके पृथ्वी के अनियमित घूर्णन के लिए समायोजित किया जाता है।
- **समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी):** यह यूटी1 के सन्निकटन के लिए डिज़ाइन किया गया एक परमाणु समय पैमाना है, जिसमें टीएआई से अंतर को लीप सेकंड द्वारा समायोजित किया जाता है। यूटीसी को यूटी1 के 0.9 सेकंड के भीतर रखा जाता है।
- **GPS समय (GPST):** यह TAI (GPST = TAI - 19 सेकंड) से निरंतर ऑफसेट के साथ, दुनिया भर में सटीक समय संकेत प्रदान करता है। यह नियमित रूप से UTC के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाता है।
- **मानक/सिविल समय:** यह UTC से निश्चित घंटों तक विचलित होता है या डेलाइट सेविंग टाइम के लिए वर्ष में दो बार समायोजित होता है।
- **जूलियन डे नंबर:** 1 जनवरी 4713 ईसा पूर्व से दिनों की गणना जूलियन तिथि में बीते दिन का अंश शामिल होता है। संशोधित जूलियन डे (MJD) आधी रात से शुरू होता है और इसकी गणना MJD = JD - 2400000.5 के रूप में की जाती है।
- **बैरीसेंट्रिक निर्देशांक समय (टीसीबी):** यह सौरमंडल के द्रव्यमान केंद्र पर आधारित एक समय मानक है, जिसे बैरीसेंटर के रूप में जाना जाता है।

एससी और एसटी कोटे का उप-वर्गीकरण

संदर्भ *: 21 अगस्त, 2024 को 21 से अधिक एससी और एसटी समूहों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों और रेलवे को अवरुद्ध किया। यह कार्य उनके द्वारा एससी और एसटी कोटे का उप-वर्गीकरण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किया गया। इन जन समूहो द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना की मांग की गयी है।*

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े और तथ्य

- **अनुच्छेद 341:** यह राष्ट्रपति को अस्पृश्यता से संबंधित ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर कुछ जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
- **जनगणना 2011:** भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 16.6% तथा अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 8.6% है।
- **आरक्षण** : अनुसूचित जातियों को सामूहिक रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15% आरक्षण प्राप्त है। कुछ अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व दूसरों की तुलना में कम है। इसलिए इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों को न्यायिक जांच का सामना करना पड़ा है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **संबंधित संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 14**: यह कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
  - **अनुच्छेद 15(4):** यह राज्य को अनुसूचित जातियों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 16(4), 16(4ए), और 16(4बी):** यह पदों और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **पृष्ठभूमि: मामले की जड़ें**
  - **1975 का निर्णय** : पंजाब सरकार ने अपने 25% एससी आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया: एक बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए और दूसरा अन्य एससी समुदायों के लिए।
  - **2004 का निर्णय:** ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एससी/एसटी सूची एक 'समरूप समूह' है और इसे उपविभाजित नहीं किया जा सकता।
- **उप-वर्गीकरण के लिए समितियां**
  - **सचिवों की समिति:** इसमें गृह, कानून, जनजातीय मामलों और सामाजिक न्याय मंत्रालयों के सचिवों सहित पांच सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति के कार्यक्षेत्र में आरक्षण कोटा जैसे नीतिगत मामले शामिल नहीं हैं और इसके निष्कर्षों के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।
- **एससी अवलोकन**
  - **ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य:** इस वाद में न्यायलय द्वारा कहा गया कि राज्य एससी सूची को विभाजित नहीं कर सकते; इसे एकल, समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए।
  - **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह:** इस वाद में न्यायलय द्वारा कहा गया कि राज्य एससी/एसटी सूची में बिना कोई परिवर्तन किए लाभ की मात्रा तय कर सकते हैं।
  - **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता:** इस वाद में न्यायलय द्वारा पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू किया गया, जिससे अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक वंचित लोगों तक लाभ सीमित हो गया।
  - **सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ, 2020:** इस वाद में न्यायलय द्वारा एससी और एसटी के भीतर असमानताओं को मान्यता दी गई, जिसके कारण सात न्यायाधीशों वाली एक बड़ी पीठ ने समीक्षा की।
- **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला**
  - **उप-वर्गीकरण की अनुमति:** राज्य मौजूदा 15% आरक्षण के भीतर सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण बना सकते हैं।
  - **उप-वर्गीकरण के लिए अनुभवजन्य आधार: यह** प्रणालीगत भेदभाव के आंकड़ों और ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि मनमाने कारणों पर।
  - **क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार:** ओबीसी पर लागू सिद्धांत को एससी और एसटी पर भी लागू किया गया है, तथा धनी व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से बाहर रखा गया है।
  - **न्यायिक समीक्षा:** राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण के निर्णय दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
  - **पीढ़ीगत सीमा:** आरक्षण लाभ लाभार्थियों की पहली पीढ़ी तक ही सीमित है; यदि परिवार ने उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त कर ली है तो बाद की पीढ़ियां इसके लिए पात्र नहीं हो सकती हैं।

राष्ट्रीय AVGC-XR मिशन

संदर्भ: *21 अगस्त, 2024 को सूचना और प्रसारण सचिव ने राष्ट्रीय AVGC-XR मिशन के साथ AVGC-XR नीति के आगामी कार्यान्वयन की घोषणा की है।*

- **एवीजीसी सेक्टर के बारे में -**
  - **अवलोकन** :
    - इस क्षेत्र में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स शामिल हैं।
    - इस क्षेत्र में व्यापक विकास हो रहा है तथा इसमें वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है।
    - इस क्षेत्र में सामग्री निर्माण में उच्च कौशल की मांग है।
  - **आर्थिक क्षमता:**
    - भारत का लक्ष्य 2025 तक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 5% ($40 बिलियन) हासिल करना है।
    - इसमें 25-30% की वार्षिक वृद्धि अपेक्षित है, जिससे प्रतिवर्ष 160,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी।
    - वर्तमान में AVGC पेशेवरों को 185,000 रोजगार प्राप्त हैं, तथा अगले दशक में इसमें 14-16% की वृद्धि का अनुमान है।
- **राष्ट्रीय AVGC-विस्तारित वास्तविकता मिशन**
  - **नीति प्रारूप:**
    - गेमिंग और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य नीतियों का मसौदा टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
  - **" भारत में निर्माण" अभियान:**
    - सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य बनाना
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना
    - अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सह-उत्पादन संधियों और नवाचार को सुविधाजनक बनाना
    - कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
    - स्कूलों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उठाना
  - **विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम:**
    - स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए यूजीसी-मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है।
  - **मानकीकरण** :
    - एवीजीसी-संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को मानकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है।
  - **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**
    - इंटर्नशिप के लिए वैश्विक एवीजीसी बाजारों (अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश की गई।

- **बुनियादी ढांचे का विकास:**
  - इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में एवीजीसी त्वरक और नवाचार केंद्र स्थापित करना शामिल है।
  - एवीजीसी प्रौद्योगिकियों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप और संस्थानों के लिए सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है।
- **सांस्कृतिक संवर्धन:**
  - प्रोत्साहन योजनाओं और आईपी सृजन के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन देना।
  - भारत की संस्कृति और विरासत को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए घरेलू सामग्री के लिए उत्पादन निधि की स्थापना की जाएगी।
- **महिलाओं और बच्चों का समावेशन:**
  - इसमें महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की पेशकश गई है।
  - भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय बच्चों के चैनलों को बढ़ावा देना शामिल है।
  - साथ ही डिजिटल क्षेत्र में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढांचा स्थापित करना शामिल है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अलमट्टी बांध

हाल ही में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र से कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए रास्ता साफ करने का आग्रह किया है।

अलमट्टी बांध के बारे में:

- अलमट्टी बांध, जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बीजापुर में कृष्णा नदी पर एक जलविद्युत परियोजना है।
- यह जुलाई 2005 में बनकर तैयार हुआ था और यह ऊपरी कृष्णा नदी परियोजना (यूकेआरपी) का हिस्सा है।
- बांध का उपयोग सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जलविद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।
- बांध के दाईं ओर 290 मेगावाट का बिजलीघर है जो बिजली उत्पादन के लिए ऊर्ध्वाधर कापलान टर्बाइन का उपयोग करता है।
- बांध के बैकवाटर गर्मियों में कई प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं।

कृष्णा नदी:

- कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर क्षेत्र से निकलती है।
- यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।
- कृष्णा नदी की प्रमुख दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियों में वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा शामिल हैं, जबकि प्रमुख बायीं तटवर्ती सहायक नदियों में भीमा, डिंडी, पेड्डावगु, हलिया, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू शामिल हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हाल ही में, कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा सभी अधिग्रहणों को मंजूरी देने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) पर सवाल उठाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समूह ग्राहकों के नुकसान के लिए प्रमुख बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में एकाधिकार बना रहा है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में:

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत सरकार का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी, जिसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का स्थान लिया है।
- इसका मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाना, उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं, जैसे प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते और संयोजनों की जांच करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, जो एकाधिकार को बढ़ावा दे सकते हैं या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- यह अनुचित व्यापार प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंड लगा सकता है।
- आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

हाल ही में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) एक वैधानिक निकाय है।
- यह शीर्ष संगठन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अधीन कार्य करता है।
- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी।
- यह डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और मार्गदर्शन के लिए संस्थानों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी), खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना, खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी), पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (एसएफयूआरटीआई) और शहद मिशन शामिल हैं।

खेलो इंडिया

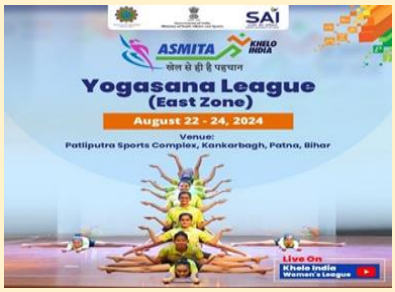

खेलो इंडिया के अंतर्गत अस्मिता योगासन लीग (पूर्वी क्षेत्र) आज (22 अगस्त 2024) से बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू हो रही है और 24 अगस्त को इसका समापन होगा।

खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में:

- खेलो इंडिया ("चलो भारत खेलें") भारत में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों का विकास करना है।
- यह कार्यक्रम 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2017-18 में लॉन्च किया गया था।
- कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना, एक मजबूत खेल ढांचा तैयार करना, युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना और उनकी पहचान करना, शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा प्रदान करना और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।
- इस कार्यक्रम में वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ शामिल हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) और खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG)।
- कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय खेलों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है ताकि उनकी लोकप्रियता को फिर से बढ़ाया जा सके।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) द्वारा किया जाता है।

समाचार में स्थान

पोलैंड

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन की अपनी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में वारसॉ पहुंचे।

पोलैंड (राजधानी: वारसॉ)

स्थान: पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है।

सीमाएँ: पोलैंड की सीमाएँ यूक्रेन और बेलारूस (पूर्व), जर्मनी (पश्चिम), बाल्टिक सागर (उत्तर), लिथुआनिया (उत्तर-पूर्व), चेक गणराज्य और स्लोवाकिया (दक्षिण) से मिलती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- पोलैंड का सबसे ऊँचा स्थान रिसी है, जो स्लोवाकिया की सीमा पर टाट्रा पर्वत में स्थित है।
- पोलैंड की कुछ प्रमुख नदियों में विस्तुला, ओडर, वार्टा, बग और नरेव शामिल हैं।
- पोलैंड की कुछ प्रमुख झीलों में स्नियार्डवी झील, मैमरी झील, लेबस्को झील, विग्री झील और मिकोलज्स्की झील शामिल हैं।
- पोलैंड में कोयला, तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा, नमक और प्राकृतिक गैस आदि सहित महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं।

सदस्यता: पोलैंड यूरोपीय संघ, नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) और संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में किस भारतीय राज्य में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस (वीडीपीवी) संक्रमण का मामला सामने आया था? – **मेघालय**
- जीवित पशु प्रजाति (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 के तहत विदेशी पशु प्रजातियों के कब्जे की रिपोर्ट करने की छह महीने की अवधि कब समाप्त होने वाली है? – **अगस्त 2024**
- पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया? – **शाहीन-II**
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया? – **मियावाकी विधि**
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने पोलैंड को किस उत्पाद के निर्यात में मदद की? – **पुरंदर अंजीर से बना रेडी-टू-ड्रिंक अंजीर जूस**